(60)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1827-तीन/2003 - विरूद्ध आदेश दिनांक 28-12-1996 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण क्रमांक 8 बी 121/1996-97 पुनरावलोकन

1- गीता पुत्र सुखदेव कुम्हार
2- भगवानदास पुत्र ईश्वरदीन
3- श्रीमती सुशीला देवी पत्नि आनन्दलाल
सभी ग्राम बकठेरी तहसील सिरमोर जिला रीवा ----आवेदकगण

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन --अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)
(अनावेदक के पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनांक 06 -4 -2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 8 बी 121/1996-97 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 28-12-1996 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता , 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदकगण ने अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 159/1994-95 में पारित आदेश दिनॉक 8-4-1996 के पुनरावलोकन किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे अपर आयुक्त रीवा

ने प्रकरण कमांक 8 बी 121/1996-97 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 28-12-1996 से निरस्त कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 8 बी 121/1996-97 पुनरावलोकन का अवलोकन किया गया।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने इस बिन्दु पर गौर नहीं किया है कि आवेदकगण ने प्रकरण कमांक 159/1994-95 में पारित आदेश दिनॉक 8-4-1996 का पुनरावलोकन किन आधारों पर चाहा था किन्तु अपर आयुक्त रीवा ने पुनरावलोकन में लिये गये आधारों पर ध्यान न देते हुये आवेदकगण का आवेदन निरस्त करने में भूल की है इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 8 बी 121/1996-97 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 28-12-1996 निरस्त किया जाय एंव मामला गुणदोष पर विचार करने हेतु वापिस किया जाय।

अनावेदक के अभिभाषक का तर्क है कि अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 8 बी 121/1996-97 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 28-12-1996 के विरूद्व राजस्व मण्डल में निगरानी सुनवाई योग्य नहीं है इसलिये निगरानी निरस्त की जाय।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 8 बी 121/1996-97 पुनरावलोकन में आये तथ्यों के अवलोकन से परिलक्षित है कि मूल मामला अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर के न्यायालय में म0प्र0कृषि उच्चतम सीमा अधिनियम के प्रावधानों में विचारित हुआ है । मामला अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के न्यायालय में आने पर प्रकरण कमांक 159/1994-95 में पारित आदेश दिनॉक 8-4-1996 से पूर्ण विवेचना उपरांत निराकृत हुआ है जैसाकि अपर आयुक्त, रीवा

संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 8 बी 121/1996-97 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 28-12-1996 से यह तथ्य परिलक्षित है। इसी आदेश के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत हुई है। आवेदकगण के अभिभाषक के अनुसार जब मूल न्यायालय में म0प्र0कृषि उच्चतम सीमा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत मामला विचारित हुआ है , निगरानी भी इन्हीं नियमों के अधीन होगी, जबकि आवेदकगण की ओर से मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत हुई है, जिसके कारण विचाराधीन निगरानी प्रचलन योग्य प्रतीत नहीं होती है। यदि संहिता की धारा 51 के प्रावधानों पर भी विचार किया जाय - मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में प्रावधान है कि किसी भी आदेश का पुनरावलोकन तभी किया जायेगा, जबकि ऐसे आदेश के विरूद्व अपील/निगरानी का प्रावधान न हो अथवा दुखी पक्षकार द्वारा ऐसा अभिलेख खोज लिया हो, जो उसके द्वारा आदेश पारित करने के पूर्व शोधित नहीं किया जा सका जिसके कारण आदेश पारित करने में प्रत्यक्षदर्शी भूल हुई है, किन्तु विचाराधीन निगरानी **में यह भी परिलक्षित नहीं है कि** अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 8 बी 121/1996-97 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 28-12-1996 ऐसी कौनसी त्रृटि की है जिसके कारण निगरानी स्वीकार करने पर विचार किया जा सके।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 8 बी 121/1996-97 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 28-12-1996 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता हे।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0
ग्वालियर